(81)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

प्रपत्र संख्या–43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिए)

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा एस0बी0आई0 .....

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम धनराशि .....
2. पता– .....
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) ..... उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स देहरादून
5. चालान की सकल धनराशि (gross) .....
6. चालान की निबल (net) राशि .....
7. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक				उप मुख्य शीर्षक		लघु शीर्षक			उप शीर्षक		ब्यौरावार शीर्षक		धनराशि (अंको में)
1	4	7	5	0	0	2	0	0	0	2			

धनराशि शब्दों में – रूपये ..... मात्र

–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

(82)

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ..... दिनांक ..... अकों में रूपये.....

शब्दों में रूपये .....

..... प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उप कोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक की मोहर

विवरण रोकड (धनराशि केवल रूपयों में)

नोट	संख्या	राशि
1000 X		
500 X		
100 X		
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग		

चैक का विवरण – संख्या दिनांक

टिप्पणी–

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड – 4 अथवा लोक सेवा खण्ड–4 अथवा लोक सेवा खण्ड–2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लेख लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेख की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है तो ऐसी दशा मे चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि में अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

फार्म नं0 – 1 का प्रारूप

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 58(1) के अन्तर्गत फर्म पंजीकरण का विवरण

1– फर्म का नाम (हिन्दी में)

2– फर्म के व्यवसाय का प्रधान स्थान (हिन्दी में)

3– किसी अन्य स्थान का नाम जहाँ फर्म वयवसाय करेंगी

4– साझेदारों के फर्म में शामिल होने की तिथि

5– साझेदारों के पूरे नाम, पिता/पति का नाम, पता व आयु

6– फर्म की अवधि

7– क्या फर्म हिन्दु अविभाजित परिवार से है

8– व्यवसाय की प्रकृति

सभी साझोदारों के हस्ताक्षर

सत्यापन

हम उपरोक्त भागीदार शपथ पूर्वक बयान करते है कि उक्त विवरण हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है।

आज दिनांक ..... को स्थान ..... को सत्यापित किया गया है।

सभी साझोदारों के हस्ताक्षर

फर्म का नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 – 2

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 60(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के नाम परिवर्तन करने हेतु विवरण पत्र

फर्म का पूर्व नाम (हिन्दी में)	फर्म का प्रस्तावित परिवर्तित नाम (हिन्दी में)	नाम परिवर्तन की तिथि	व्यवसाय का प्रधान स्थान

दिनाँक **हस्ताक्षर**

नोट : – उपरोक्त विवरण एक्ट की धारा 58 के प्राविधानों के तहत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया जाना है।

फर्म व्यवसाय के प्रधान स्थान परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 –3

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 60(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के व्यवसाय का प्रधान स्थान परिवर्तित करने हेतु विवरण पत्र

फर्म का पूर्व नाम (हिन्दी में)	फर्म व्यवसाय का पूर्व प्रधान स्थान (हिन्दी में)	परिवर्तित प्रधान स्थान	परिवर्तित प्रधान स्थान की तिथि

दिनाँक **हस्ताक्षर**

फर्म व्यवसाय के प्रधान स्थान के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 – 4

पंजीकृत फर्म द्वारा प्रधान स्थान के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने हेतु जारी सूचना (भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा–61 के अन्तर्गत)

फर्म का नाम (हिन्दी में)

प्रस्तुतकर्ता द्वारा पूर्ण करने हेतु

निबन्धक, फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड

मैं हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का साझेदार ..... की हैसियत से आपको सूचित करता हूँ कि फर्म ..... का अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय दिनाँक..... से संचालित होगा।

दिनाँक **हस्ताक्षर**

<u>सत्यापन</u>

हम उपरोक्त भागीदार शपथ पूर्वक बयान करते है कि उक्त विवरण हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है।

आज दिनांक ..... को स्थान ..... को सत्यापित किया गया है।

भागीदार के नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र
फार्म नं0 –5

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 60(1) के अन्तर्गत भागीदार के नाम में परिवर्तन होने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स,
देहरादून उत्तराखण्ड।

धारा–62 के तहत सूचना का प्रेषण :–

फर्म .....जिसका प्रधान स्थान.....है के भागीदार के नाम परिवर्तन की सूचना निम्न प्रकार से है :–

भागीदार का पूर्व नाम	भागीदार का वर्तमान नाम	नाम परिवर्तन की तिथि	परिवर्तित प्रधान स्थान की तिथि

उक्त सूचनाएं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित की गई।

दिनांक

भागीदारों के हस्ताक्षर
फर्म की मोहर सहित

भागीदार के स्थायी निवास के पते में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र
फार्म नं0 – 6

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 2 के अन्तर्गत भागीदार स्थायी पता परिवर्तन का नोटिस

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स,
देहरादून उत्तराखण्ड।

धारा–62 के तहत सूचना का प्रेषण :–

उक्त उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत फर्म के भागीदार श्री.....है, का पता परिवर्तन किया गया।

पूर्व पता	वर्तमान पता	पता परिवर्तन की तिथि

उक्त सूचनाएं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित की गई।

दिनांक **फर्म के भागीदारों के हस्ताक्षर**

फर्म के विधान में परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 – 7

भारतीय सहभागिता अधिनियम 1932 की धारा – 63(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के विधान में परिवर्तन करने की सूचना

सेवा में,

निबन्धक
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स
देहरादून।

मैं..... (फर्म का भागीदार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि) निम्न प्रकार सूचित करता हूँ :–

(फर्म में विधान परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख किया जाये)

नोट :– फर्म के विधान परिवर्तन की नई एग्रीमेन्ट डीड की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जाये।

दिनांक **भागीदारों के हस्ताक्षर**

फर्म के विघटन हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 – 8

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 63(1) के अन्तर्गत फर्म विध्टान हेतु नोटिस

सेवा में,

निबन्धक
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स
देहरादून।

मैं.....फर्म का भागीदार (या अधिकृत एजेण्ट) फर्म.....के विघटन हेतु दिनांक ..... को सूचित करता हूँ कि फर्म .....पता..... दिनांक.....को विघटित कर दी गई है।

फर्म के लेन–देन की तथा विघटन डीड की सत्यापित प्रति संलग्न की जा रही है।

सत्यापन

दिनांक

भागीदारों के हस्ताक्षर

आवश्यक होने वाले अथवा न होने वाले भागीदार के द्वारा दी जाने वाली सूचना

फार्म नं0 – 9

(भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा – 63(1) के अन्तर्गत फर्म के भागीदार के द्वारा अव्यस्क होने अथवा न होने की सूचना)

स्मक्ष :: निबन्धक, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड

मैं.....का.....भागीदारों के लाभ को प्राप्त करने हेतु फर्म..... में शामिल हो गया हूँ। फर्म का मुख्य कारोबारी स्थान.....पर मैं यह नोटिस प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैने व्यस्कता प्राप्त कर ली है।

श्री.....पुत्र.....पता.....उम्र.....नामक व्यक्ति फर्म में भागीदार बन गया है/नहीं बना है।

भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है।

दिनांक

भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि